न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 37/2015, जी.सी.एम.एस. नं. 2015/00222

1. हरफूल पुत्र भुल्लन
2. धनपाल
3. बंटी
4. सोनू } पिसरान हरफूल
5. लोहबा पत्नि हरफूल
6. गुड्डी बेवा बृसभान

} समस्त जातियान मालीयान निवासीयान चन्देली तहसील मण्डरायल जिला करौली, राज0।

अपी0

बनाम

1. हेमराज पुत्र किशनली
2. रामवीर पुत्र किशनली
3. वासुदेव पुत्र किशनली नाबालिक जरिए संरक्षक माता लोडी
4. प्रभो
5. रामबाई } पुत्रीयान किशनली नाबालिक जरिये संरक्षक माता लोडो
6. गिल्लू
7. मिश्री
8. जगनली } पिसरान गुटई जातियान मालीयान निवासीयान चन्देली तहसील, मण्डरायल जिला करौली, राज0।
9. लोडो बेवा किशनली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मण्डरायल मु0न0 33/09 निर्णय व डिग्री दिनांक 29.11.11)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री लियाकत अली व श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री दिनेश कुमार बंसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 29.12.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 33/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2011 उनवानी हेमराज वगै0 बनाम हरफूल वगै0 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में

Scanned with CamScanner

वादी/रेस्पों. ने वादपत्र 88, 188 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 247 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा, ख.नं. 249 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 14 विस्वा ग्राम चन्देली तहसील मण्डरायल में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी/रेस्पों. 1 ल0 5 के पिता व वादी नं. 6/रेस्पों. सं. 9 के पति किशनली पुत्र गुटई व वादी नं. 7 ल0 9/रेस्पों. सं. 6 ल0 8 व सोमोती बेवा गुटई कि संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजी है। किशनली का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2009 को हो चुका है। मृतक किशनली के वारिसान वादीगण सं. 1 ल0 6 है और सोमोती बेवा गुटई का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2007 को हो चुका है। उसके वारिसान वादीगण/रेस्पों. सं. 1 ल0 9 है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी वादीगण/रेस्पों. के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में रौधई से चन्देली तक जाने वाली सडक का निर्माण पी.डब्लू.डी विभाग ने कराया है जिसकी मुआवजा राशि वादीगण/रेस्पों. ने प्राप्त की है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण/अपी0 का कोई सम्बंध व ताल्लुक वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण/अपी0 ताकतवर व पैसे वाले व्यक्ति है। वादीगण/रेस्पों. गरीब व कमजोर किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण/अपी0 उक्त विवादित आराजी को वादीगण/रेस्पों. से ताकत व पैसे के बल पर छीनने पर आमादा है। दिनांक 15.11.2009 को प्रतिवादीगण/अपी0 विवादित आराजीयात पर आ गये और वादीगण/रेस्पों. से झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये। वादीगण/रेस्पों. ने प्रतिवादीगण/अपी0 से कहा की उक्त विवादित आराजीयात हम वादीगण/रेस्पों. की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात है और हम वादीगण/रेस्पों. ही उक्त विवादित आराजीयात को हमेशा से काश्त करते चले आ रहे है। इस बात पर प्रतिवादीगण/अपी0 नाराज हो गये और बैलों को हल में से खोल कर भगा दिया और वादीगण/रेस्पों. को फसल काश्त नहीं करने देने की धमकी देने लगे। प्रतिवादीगण/अपी0 की इस अनाधिकार कार्यवाही से वादीगण/रेस्पों. पर भारी आघात होगा। वादीगण/रेस्पों. अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात के काश्त से बंछित हो जावेगें। वादीगण/रेस्पों. के भरण पोषण का मुख्य जरिया कृषि भूमि की उपज है। यदि प्रतिवादीगण/अपी0 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण/रेस्पों. को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादीगण/रेस्पों. को उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण/अपी0 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादीगण/रेस्पों. को उनके काश्त व खातेदारी की आराजीयात में कोई रूकावट पैदा न करें और न ही दीगर व्यक्ति से करावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पों. द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पों. का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.11 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो तनकीयात दावे एवं जबाव दावे के आधार पर बनायी गई है वो विधि अनुरूप नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न नजीरों में स्पष्ट सिंद्वात प्रतिपादित किया है कि वादपत्र का निर्णय किए जाते वक्त प्रत्येक तनकी पर दावे एवं जबाव दावे के आधार पर पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की तुलना कर प्रत्येक तनकी पर अपना मत पृथक–पृथक पारित करना चाहिये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में उक्त प्रकरण का एक साथ निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात पर रेस्पों. का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और रेस्पों. द्वारा धारा 88 के तहत वादपत्र पेश किया है। कब्जे के अभाव में धारा 88 आर. टी.एक्ट के तहत वादपत्र मेंटेवल नहीं है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 को बेदखल किए जाने के आदेश पारित किये है जबकि रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88 के तहत था, बेदखली का कोई वादपत्र रेस्पों. द्वारा पेश नहीं किया गया है। रेस्पों. मूल गांव से डेढ किलोमीटर रावरे नामक स्थान पर रहते है तथा अपी0 का खसरा नं. 364/1 वाके ग्राम चन्देली पर कब्जा है जो करीब 40–50 साल पुराना है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में दिनांक 18.11.11 को धारा 88 के अनुतोष को डिलीट किया है, वह भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है। वगैर घोषणा के अभाव में रेस्पों. को खातेदारी नहीं मिल सकती है और दौराने दावा यदि किसी प्रकार की कोई खातेदारी रेस्पों. ने प्राप्त की है तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित की है। अपी0 को साक्ष्य सुनवायी का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपी0 को दिनांक 02.06.2015 तक नहीं थीं। दिनांक 02.06.2015 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर अपी0 से यह कहने पर हुयी कि तुम्हारें खिलाफ कोर्ट का फैसला हो गया है तुम तुम्हारी पाटोल हटा लो। इस पर दिनांक [illegible] को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने में देरी का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त विवादित आराजी रेस्पों. 1 ल0 5 के पिता व रेस्पों. सं. 9 के पति किशनली पुत्र गुटई व रेस्पों. सं. 6 ल0 8 व सोमोती बेवा गुटई के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजी है। किशनली का स्वर्गवास दिनांक 11.08.2009 को हो चुका है। मृतक किशनली के वारिसान रेस्पों. सं. 1 ल0 5 व 9 है, और सोमोती बेवा गुटई का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2007 को हो चुका है। उसके वारिसान रेस्पों. सं. 1 ल0 9 है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी रेस्पों. के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में रौधई से चन्देली तक जाने वाली सडक का निर्माण पी.डब्लू.डी विभाग ने कराया है जिसकी मुआवजा राशि रेस्पों. ने प्राप्त की है। उक्त विवादित आराजी से अपी0 का कोई सम्बंध व ताल्लुक वास्ता नहीं है। अपी0 ताकतवर व पैसे वाले व्यक्ति है। रेस्पों. गरीब व कमजोर किस्म के व्यक्ति है। अपी0 उक्त विवादित आराजी को रेस्पों. से ताकत व पैसे के बल पर छीनने पर आमादा है। दिनांक 15.11.2009 को अपी0 विवादित आराजीयात पर आ गये और रेस्पों. से झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये। रेस्पों. ने अपी0 से कहा की उक्त विवादित आराजीयात हम रेस्पों. की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात है और हम रेस्पों. ही उक्त विवादित आराजीयात को हमेशा से काश्त करते चले आ रहे है। इस बात से अपी0 नाराज हो गये और बैलों को हल में से खोल कर भगा दिया और रेस्पों. को फसल काश्त नहीं करने देने की धमकी देने लगे। अपी0 की इस अनाधिकार कार्यवाही से रेस्पों. पर भारी आघात होगा। रेस्पों. अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात के काश्त से बंछित हो जावेगें। रेस्पों. के भरण पोषण का मुख्य जरिया कृषि भूमि की उपज है। यदि अपी0 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो रेस्पों. को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्बत् 2066-69 वाके ग्राम चन्देली तहसील मण्डरायल के खतौनी सं. 09 पर ख.नं. 247 व 249 किशनली, गिल्लू, मिश्री, जगनली पि0 गुटई सोमोती बेवा गुटई जाति माली सा.देह राहिन किशनली का हिस्सा बैंक ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बडौदा शाखा मण्डरायल दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं. 1 ल0 6 की ओर से जवाब दावा दिनांक 02.07.2010 के मद सं. 1 में प्रतिवादी सं. 1 ल0 6 का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं होना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.11 को ख.नं. 247 व 249 के बाबत् आदेश पारित किया है यह आदेश विधि संगत है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मण्डरायल के मु0नं0 33/2009 निर्णय दिनांक 29.11.2011 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.12.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner